राजस्थान सरकार
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान राजस्थान, टोंक

क्रमांकः एफ0 26 (3)पार्ट–।।/केयर टेकर/एपीआरआई/11–12/690 दिनांकः 01.06.2011

निदेशक,
सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय परिसर, जयपुर।

विषयः– विज्ञप्ति प्रकाशित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निदेशालय परिसर में संविदा आधार पर निविदा सेवा में बागवानी कार्य, चौकीदारी कार्य, सफाई कार्य एवं विद्युत संबंधी कार्य के लिए विज्ञप्ति राज्य स्तर के केवल जयपुर संस्करण एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। विज्ञप्ति का संक्षिप्त प्रारूप एंव सी0डी0 सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है।

सलंग्नः– विज्ञप्ति 6 प्रतियां में मय सी0डी0

भवदीय,

ह0
निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान
राजस्थान, टोंक

क्रमांकः एफ0 26 (3)पार्ट–।।/केयर टेकर/एपीआरआई/11–12/690 दिनांकः 01.06.2011

प्रतिलिपि निदेशक, एन0आई0सी0, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रषित कर निवेदन है कि इस निदेशालय द्वारा बागवानी, चौकीदारी, सफाई एवं विधुत संबंधी कार्य के लिए दिनांक 29–06–2011 तक निविदाऐं आमंत्रित की जावेगी। अतः उक्त निविदा से संबंधित विज्ञप्ति एवं शर्ते मय सी0डी0 के प्रेषित कर अनुरोध है कि इसे दिनांक 10–06–2011 से निविदा आमंत्रित किये जाने की तिथि तक विभाग की Website maapritonk.nic.in पर प्रसारित करवाये जाने की व्यवस्था करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

ह0
निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान
राजस्थान, टोंक

राजस्थान सरकार
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान राजस्थान, टोंक

क्रमांकः एफ0 26 (3)पार्ट–II/केयर टेकर/एपीआरआई/11–12/690 दिनांकः 01.06.2011

विज्ञप्ति

इस निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2011–12 में (1.07.2011 से 31.03.2012 तक) निम्नलिखित कार्यो के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैः–

क्र0सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा फार्म शुल्क	अमानत राशि
01	02	03	04	05
01.	निदेशालय परिसर में संविदा के आधार पर निविदा सेवाएं बागवानी कार्य, चौकीदारी कार्य, सफाई कार्य एंव विद्युत संबंधी कार्य इत्यादि के लिए।	0.93 लाख रूपये	100/– रूपये	1,900/– रूपये

इच्छुक रजिस्टर्ड ठेकेदार/रजिस्टर्ड समितियां संविदा कार्य के लिए इस कार्यालय में दिनांक 29.06.2011 को दोपहर 12.00 बजे तक 100/– रूपये नकद जमा कराकर निर्धारित निविदा फार्म एंव शर्तो की प्रति प्राप्त कर सकते हैं तथा ठेकेदार निविदा फार्म भरकर दिनांक 29.06.2011 को सांय 03.00 बजे तक उपरोक्तानुसार कार्य के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में दी गई अमानत राशि ड्राफट/नकद जमा करा सकते है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 29.06.2011 को सांय 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा गठित कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित है। उक्त निविदा की विस्तृत जानकारी संस्थान की Website maapritonk.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

ह0
निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान
राजस्थान, टोंक

राजस्थान सरकार
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान राजस्थान, टोंक

संविदा पर कर्मचारी आपूर्ति हेतु निविदा शर्ते वर्ष 2011–12

निविदा देने वालों को इन शर्तो को सावधानी से देखना एंव समझना चाहिए। निविदा देते समय इनका पूर्ण पालन करना चाहिए। यदि निविदादाताओं के निविदा सूचना शर्तो की व्याख्या में किसी प्रकार का संदेह हो तो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व इनके बारे में सक्षम अधिकारी से स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा। निविदादाता इसे मानने के लिए बाध्य होगें।

01. निविदा विभाग द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
02. निविदा श्रम विभाग से रजिस्टर्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा इस हैतु अन्य प्रकार से मान्य रजिस्टर्ड ठेकेदार/ रजिस्टर्ड समिति द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकेगी।
03. निविदा उचित रूप से सील किये गये लिफाफे में ही स्वीकार की जावेगी। लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में संविदा पर कर्मचारी आपूर्ति हेतु निविदा अंकित होना चाहिए।
04. निदेशक, संस्थान को निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का बिना कारण बताये पूर्ण अधिकार होगा साथ ही इसी अवधि में अन्य ठेकेदार/पंजीकृत समिति से भी कार्य कराने का पूर्ण अधिकार निदेशक संस्थान के पास सुरक्षित होगा।
05. निविदा प्रपत्र एंव शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है जो दरें अंकित की गई है वह निविदा फार्म की पूर्ण अवधि हेतु मान्य होगी। अवधि में आपसी सहमति से वृद्धि की जा सकती है।
06. दर प्रत्येक पद के कार्य हेतु अलग–अलग व स्पष्ट अंकित की जावे। कार्य स्थल पर आने जाने हेतु कोई अतिरिक्त राशि भुगतान नहीं की जावेगी।
07. कार्य का समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक का होगा लेकिन आवश्यक कार्य होने के कारण समय से पूर्व एंव बाद तक रोका जा सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को कार्य उनको दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप ही करना होगा।
08. दरें अंको व शब्दो दोनो में अंकित की जानी चाहिए इनमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग होने की स्थिति में हस्ताक्षर किये जाने चाहिए यदि किसी कार्य हेतु दरें नहीं देनी हो तो ''दरें नहीं अंकित करनी है'' स्पष्ट अंकित किया जावे।
09. समय पर व्यक्ति जिस पद के लिए अनुबन्ध किया है उपलब्ध नहीं कराने पर होने वाली हानि के लिए ठेकेदार/पंजीकृत समिति पूर्ण जिम्मेदार होगी।

10. दरे अनुमोदित होने के पश्चात् कार्य आदेश तिथि से दस दिवस में व्यक्ति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा अन्यथा शर्त सं0 12 के हिसाब से शास्ति देय होगी।

11. अनुबन्ध पर रखे गये व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उस व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति तीन दिवस में रखना होगा।

12. अनुबन्ध पर रखे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली किसी भी हानि के लिए ठेकेदार/पंजीकृत समिति पूर्ण जिम्मेदार होगी।

13. व्यक्तियों के रखने की विलम्ब की स्थिति में शास्ति निम्नानुसार देय होगीः–

अ– व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि के 1/4 अवधि से उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह की दर का 2 प्रतिशत

ब– व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि के 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 तक अवधि में विलम्ब से उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह की दर का 5 प्रतिशत

स– व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि के 1/2 से अधिक लेकिन 3/4 तक अवधि में विलम्ब से उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह की दर का 7.5 प्रतिशत

द– व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि के 3/4 से अधिक लेकिन व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि तक उपलब्ध नहीं कराने पर प्रतिमाह की दर का 10 प्रतिशत।

14. यदि समय पर व्यक्ति उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विभाग अपने स्तर से अन्य व्यक्ति से कार्य कराता है तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली ठेकेदार/पंजीकृत समिति से की जावेगी।

15. आदेशित व्यक्ति उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में इसे अनुबन्ध का खण्डन माना जावेगा एंव निदेशक संस्थान को अमानत राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. प्रतिभूति राशि निविदा राशि का 5 प्रतिशत होगी। अमानत राशि/प्रतिभूति राशि नियमानुसार नकद/बैकर्स चैक द्वारा जमा कराई जा सकती है। सफल निविदा दाता को तीन दिवस के भीतर प्रतिभूति राषि जमा करानी होगी। अमानत राषि प्रतिभूति राषि में समायोजित की जा सकेगी।

17. अमानत राशि/प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा निरस्त समझी जावेगी। प्रतिभूति राशि अनुबन्ध समाप्ति के छः माह पश्चात् लौटा दी जावेगी। इस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

18. सफल निविदादाता निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध करेगें।

19. फर्म को सर्विस टैक्स/आयकर एंव अन्य कर जो राज्य सरकार को देय हो नियमानुसार जमा कराने होगें।

ह0
निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान
राजस्थान, टोंक